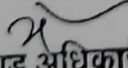


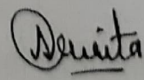
जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसरा श्री बालाजी ग्रेनाईट्स, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर गैर खनन परियोजना का रेफरेन्स नम्बर 20221000067066, क्षेत्रफल 2.3843 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 285768 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 6.4991 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 49/3 एवं 48/9 निकट ग्राम- बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा, जिला टोंक की अध्यक्षता में दिनांक 15.10.2024 को दोपहर 12:00 बजे पंचायत समिति मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण-

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिनियम दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/7986 दिनांक 21.08.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ-बूंदी/पी.यू.बी.-100/859-865 दिनांक 21.08.2024 के अनुपालना में मैसरा श्री बालाजी ग्रेनाईट्स, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर गैर खनन परियोजना का रेफरेन्स नम्बर 20221000067066, क्षेत्रफल 2.3843 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 285768 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 6.4991 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 49/3 एवं 48/9 निकट ग्राम- बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 15.10.2024 को आयोजित की गई। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/11933 दिनांक 14.10.2024 के संशोधित आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक को उक्त जनसुनवाई हेतु अधिकृत किया गया।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण गैर हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र ताज भारती के संस्करण में


उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा (टोंक)


D. Anita

दिनांक 13.09.2024 एवं द इण्डियन एक्सप्रेस के संस्करण में दिनांक 12.09.2024 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

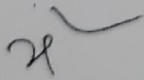
जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् अमित चौधरी, उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, तहसील टोंक, जिला टोंक की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

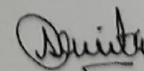
श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार परिवेश इन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज की तकनीकी सलाहकार श्री गौरीशंकर के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमूह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् अमित चौधरी, उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पूछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते हैं।

अंत में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

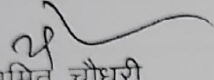

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा (टोंक)

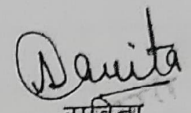


जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात् उक्त परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए है।

अंत में श्रीमान् अमित चौधरी, उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।


अमित चौधरी
उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा, जिला टोंक (राज.)
मालपुरा (टोंक)


सविता
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.म. बूंदी(राज.)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी (राज.)

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइट, रेफरेन्स संख्या 20221000067066, खसरा नं. 48/09 एण्ड 49/03, क्षेत्रफल- 2.3843 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता-2,85,768 TPA (ROM), निकट ग्राम- बाछेरा तहसील- मालपुरा, जिला- टोंक, की प्रस्तावित ग्रेनाइट खनन परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :-

स्थान :- पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, जिला टोंक (राज0)

दिनांक :- 15.10.2024

समय :- दोपहर: 12:00 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Anit kumar Choudhary son of	Anit
2.	Savita, RO, RSPCB, Bundi	Savita
3.	Rohitash Bala, AGE, RPLD, Bundi	Rohitash
4.	Ramesh Goyal	Ramesh
5.	Sanjay Kumar	Sanjay
6.	मोहन शर्मा	मोहन
7.	लक्ष्मी पुष्पा लालाहरि	लक्ष्मी
8.	मुन्देश शर्मा अफ गैंग किशोर	मुन्देश
9.	गजानन्द S/O माता/श्री 2.5.1.1	गजानन्द
10.	बनारस जी की शर्मा 2.1.1.1/2.1.1.1/2.1.1.1	बनारस
11.	अनंद शर्मा 3.0 3.0 शर्मा हाथी	अनंद
12.	मोहन शर्मा 3.0 3.0 शर्मा हाथी	मोहन
13.	गोपाल शर्मा S/O हिरा शर्मा अपाहेली	गोपाल
14.	दिलीप शर्मा 3.0 3.0 शर्मा हाथी	दिलीप

	नाम व पता	हस्ताक्षर
	नरेश चंद, आलमबाग रोड हाथवाडी	नरेश चंद
16.	नामू	नामू
17.	कुतबपुर जमिंदार	कुतबपुर
18.	पुष्पाग्रवाल गाम - हाथवाडी	Kulwant Singh
19.	हरिनाथ जाल वीरवार	पुष्पाग्रवाल
20.	हरिनाथ जाल वीरवार	हरिनाथ
21.	अंकित नाथ	अंकित नाथ
22.	कुशीराम चंद	कुशीराम
23.	लोहित चंद	लोहित
24.	गोविंद चौकी	गोविंद
25.	विमल	विमल
26.	सुरेश चंद	सुरेश
27.	नरेश चंद	Narash
28.	निधाल गोहर	Nidhal
29.	निधाल गोहर	Nidhal
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		

इनोवेटिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी
इन्वेंशन से सभी की जिंदगी को और
बेहतर बनाएं। यह ए.सी रिमोट विशेष
है, जिससे सभी लोग आसानी से
भरा वक्त बिता सकें। रिमोट में
को शामिल कर, हम अपने सभी
को इसका लाभ प्रदान करना
हैं। साथ ही इस प्रोडक्ट के साथ
गोपनीयता की जिंदगी आसान बनाने की
कोशिश की दिशा में एक कदम
रहे हैं। लॉन्च के बारे में बात करते
श्री संजय चितकारा, सीनियर वीपी
अप्लायंसेस एवं एयर कंडीशनर,
ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने कहा,
नी में, हमारा मानना है कि इनोवेशन
के लिए सुलभ होना चाहिए।



ई के शीर्ष होटल्स

महद है, और इसके शीर्ष रिसॉर्ट और
डिजाइन से लेकर प्राचीन समुद्र तटों
सेवा का एक अलग मिश्रण प्रदान
करणीय अनुभव सुनिश्चित करता है।
गर्श में हों या एक ग्लैमरस समुद्र तट
मनोरंजन विलासिता का वादा करते
हैं, अल कुद्रा रोड, एंड्यूरेंस सिटी
मल शम्स हरे-भरे बगीचों और अरब
पर्यटन प्रदान करता है। हाल ही में
नाए रखते हुए एक ताजा, आधुनिक
जगह वाले शानदार स्विमिंग पूल,
हैट नए भोजन स्थल और रिंगस्तान
है। जुमेरा अल कसर, जुमेरा अल
लुड लिस्ट में शामिल, जुमेरा अल
मता का प्रतीक है। जुमेरा के मल्टी-
मेंबों और मशरबाबिया जालीदार काम
सजे परिदृश्य और दुबई के क्षितिज
हैं। वन एंड ओनली रॉयल मिराज,
ऊद सेंट, दुबई मरीना एक शांत
हर मोड़ पर विलासिता प्रदान करता
करमे तक। एक्का डि पर्मा उत्पादों से
भी बेहतर बनाते हैं।

ओनरशिप प्रोग्राम
भारत के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में
पहली बार, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर
इंडिया अपने बैटरी एज ए सर्विस
(BaaS) पेशकश के साथ एक अभिनव
ओनरशिप प्लान को पेश कर रही है, जो
एक मैनुअल कॉम्पेक्ट एसयूवी की
कीमत पर फुल-साइज कैपेबल इलेक्ट्रिक
सीयूवी को खरीदना संभव बनाता है। यह
लचीला ओनरशिप प्रोग्राम बैटरी की
अग्रिम लागत को खत्म करता है, जिससे
ग्राहक केवल इसके उपयोग के लिए

लाइफटाइम बैटरी वारंटी
रही है। एमजी ऐप द्वारा eHUB के
कंपनी एक साल के लिए मुफ्त
सर्वजनिक चार्जिंग की पेशकश कर रही
है, जिससे विंडसर ओनर के लिए कभी
भी, कहीं भी चार्ज करना पहले से कहीं
ज्यादा आसान होगा। जेएसडब्ल्यू एमजी
मोटर इंडिया ने विंडसर के लिए 3-60
सुनिश्चित बायबैक प्लान की भी पेशकश
की है, जो यह सुनिश्चित करता है कि 3
साल बाद या 45,000 किलोमीटर के
बाद इसकी 60 प्रतिशत वैल्यू बसिल की

नगरजन और स्मार्ट कनेक्टिविटी
एमजी के ग्लोबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक
प्लेटफॉर्म, जो अपनी विश्वसनीयता के
लिए प्रसिद्ध है, पर निर्मित एमजी विंडसर
में एक शक्तिशाली पीएमएस मोटर है, जो
आईपी67 सर्टिफाइड है। 38 kWh ली-
आयन बैटरी पैक और 4 ड्राइविंग मोड्स
(Eco+, Eco, Normal और Sport) जो
100KW (136ps) की पावर और
200Nm का इंस्टैंट टॉर्क प्रदान करता है,

अतः सर्वसाधारण को
जनसुवनाई/ 2024/7
किया जाता है कि उक्त
10.2024(मंगलवार)
जिला. टॉक में उपस्थित
साथ ही इस सम्बन्ध में
कार्यालय राजस्थान राज
कोविड-19 से सम्बंधित
तथा सभी प्रावधानों/सा



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO BUNDI/PUB-101/852
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

Date: 21.08.2024

विषय: मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाइट, रेफरेस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेस संख्या 20221000052261), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर, आवेदनक मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.1746 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 123648 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है। से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाइट, ने राजस्थान ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान - पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित क्षेत्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

RPCB/RO BUNDI/PUB-101/852

विषय: मैसर्स श्री सिंहा तहसील मालपुरा, जिला टोंक लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स जय भोले बाबा ग्रेनाइट, ने राजस्थान ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान - पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला. टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित क्षेत्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मंगलवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान -पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com



RPCB/RO BUNDI/PUB-119/902

Date:22.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000084574), कुल क्लस्टर क्षेत्र 13.1090 हेक्टेयर, " आवेदक मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.002 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 147336 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूँकि मैसर्स श्री सिंधोलिया माताजी ग्रेनाइट, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रा के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 2

3. उक्तपरियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय,
4. संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024(मंगलवार) को दोपहर 12:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय /राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी



कोफ़ी कल्चर लगातार बढ़ रहा है। लोग कोफ़ी पीने से है, बल्कि इसमें नए-नए स्वादों की तलाश कर रहे हैं और इसे के रूप में देख रहे हैं। यह ट्रेड दुनियाभर में भी देखा जा रहा है कि एक अनोखे अनुभव की तरह लेना पसंद करते हैं। भारत में नए स्वाद मैपल हेजल मेन्यू को पेश करते हुए, विनय नायर, डिया और इमर्जिंग मार्केट्स, कोस्टा कॉफी ने कहा, हमें बहुत श्रुतुके इस मौसम में हम भारत में नई मैपल हेजल कॉफी लेकर इस मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, और दुनियाभर के कॉफी इस मौसम में पसंद करते हैं। हमें यकीन है कि आप इसे आनंद उठाएंगे। कोस्टा कॉफी हमेशा ऐसे स्वाद बनाना चाहती है जो आपको लाए। हमें उम्मीद है कि आप इस सीज़न में हमारी मैपल भरपूर आनंद लेंगे।

को बेहतरीन गुणवत्ता की कॉफी बनाने का 50 से अधिक वर्षों से भारत में स्वादिष्ट कॉफी लाने के लिए लगातार नए प्रयोग किए से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

पैदा करेगी एमजी विंडसर

भारत इंडिया ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक सीयूवी विंडसर



हैं। सबसे जरूरी, खरीदार चाहते हैं कि ईंधन लागत के किलोमीटर के हिसाब से का भुगतान करना होगा। आती खरीद लागत को र देता है और प्रति ई को कम करता है, फायदे की और परेशानी अनुभव सुनिश्चित होता है, कंपनी एमजी विंडसर को अपनी तरह की पहली री वारंट की पेशकश कर ऐप द्वारा eHUB के साथ, साल के लिए मुफ्त जिग की पेशकश कर रही सर और के लिए कभी र्ज करना पहले से कहीं होगा। जेएसडब्ल्यू एमजी विंडसर के लिए 3-60 बैक प्लान की भी पेशकश सुनिश्चित करता है कि 3 45,000 किलोमीटर के प्रतिशत वैल्यू हासिल की जा सकती है।

इलेक्ट्रिक सीयूवी में एक एयरोग्लाइड डिजाइन लैंग्वेज है, जो पारंपरिक सेगमेंटेशन को भविष्यवादी और बदलावकारी अवधारणा में बदलती है। 135 डिग्री तक झुकने वाली स्पेशियस एयरो लाउंज सीट के साथ, इसका इंटीरियर भव्य और शानदार है, इसका विशाल इनफॉर्मेटिव व्यू ग्लास रूफ बिजनेस क्लास के अनुभव में वृद्धि करता है। इसके सेंटरल कंसोल में बड़ा 15.6 इंच ग्राइड्यू टच डिस्प्ले प्रभावी मनोरंजन और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स देता है।

एमजी के ग्लोबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, जो अपनी विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है, पर निर्मित एमजी विंडसर में एक शक्तिशाली पीएमएस मोटर है, जो आईपी67 सर्टिफाइड है। 38 kWh ली-आयन बैटरी पैक और 4 ड्राइविंग मोड्स (Eco+, Eco, Normal और Sport) जो 100KW (136ps) की पावर और 200Nm का इंस्टैंट टॉर्क प्रदान करता है,

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
rorpcb.bundi@gmail.com



Date: 21.08.2024

लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

ख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाछेरा, तहसील माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई के लिए आम सूचना प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000084574), कुल क्लस्टर क्षेत्र 13.1090 हेक्टेयर, "आवेदक मैसर्स श्री सिधोलिया माताजी ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.002 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 147336 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति से पूर्व आवश्यक माइनिंग परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में

है। सही स्वास्थ्य पाने के लिए पौष्टिकता से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, साबुत अनाज, सब्जियां, फल, फलियां और इस प्रकार की अन्य चीजों से युक्त संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है। बादाम में 15 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक, पोटेशियम और आहारীয় फाइबर शामिल हैं, जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च

में भारतीयों के लिए डॉइटी ग्राइंडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना बादाम को नट के रूप में लेना चाहिए। ग्रेनाडा बादाम खाने से सेहत को कई सारे फायदे होते हैं जैसे वजन नियंत्रित रहता है, दिल की सेहत बेहतर होती है और ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। अपनी फिटनेस की दिनचर्या और आदतों के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान कहती हैं, मैं सोच-समझकर सेहतमंद खानपान की

अपने साथ हल्दी स्नैक्स खाना भी भूलती जैसे बादाम का बॉक्स। इससे मुझे लंबे समय तक भूख नहीं लगती और मुझींभर बादाम खाने से मुझे अपने रोजाना के पोषण को पूरा करने में भी मदद मिलती है। तो इस राष्ट्रीय पोषण माह में आइए हम खाने की स्वस्थ आदतें अपनाने का संकल्प लें और अपने खाने में बादाम जैसे पौष्टिक फूड्स को शामिल करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय पोषण माह पर अपनी बात रखते हुए, रीजनल हेड-डायटेटिक्स, मैक्स हेल्थकेयर, दिल्ली की रितिका समदर कहती हैं।



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com



Date: 21.08.2024

RPCB/RO BUNDI/PUB-100/859

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइट्स, रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20221000067066), कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर, "आवेदक मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइट्स द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.3843 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 285768 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाछेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री बालाजी ग्रेनाइट्स, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक।
2. CEO जिला परिषद टोंक।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक।
6. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक।
8. ग्राम पंचायत मालपुरा।
9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक
10. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।
अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024 (मंगलवार) को दोपहर 12:00 बजे, स्थान - पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से संबंधित केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट नं डी-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बूंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com



Date: 22.08.2024

RPCB/RO BUNDI/PUB-119/902

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स श्री सिधोलिया माताजी ग्रेनाइट रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रेफरेंस संख्या 20231000084574), कुल क्लस्टर क्षेत्र 13.1090 हेक्टेयर, "आवेदक मैसर्स श्री सिधोलिया माताजी ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.002 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 147336 टीपीए (रोम), जो कि रेफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।



Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल
प्लॉट नं. बी-15, ईश्वरी भूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बुंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO BUNDI/PUB-119/902

Date: 22.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय: वैसर की सिविलियन मालाजी रोनाइट रफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित रोनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रोनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रफरेंस संख्या 20231000084574), कुल कलस्टर क्षेत्र 13.1060 हेक्टेयर, आवेदक वैसर की सिविलियन मालाजी रोनाइट द्वारा प्रस्तावित रोनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.003 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 147336 टोपीए (रोम), जो कि रफरेंस संख्या 20231000084574, निकट ग्राम रुपाहली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है। से संबंधित प्रार्थना पत्र पत्र दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि वैसर की सिविलियन मालाजी रोनाइट, राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल को उन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु जन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित सखित अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सखित कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2. CEO जिला परिषद टोंक। 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थापक क्षेत्र झालाना बूरी, जयपुर। 4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरुणपवन झालाना संस्थापक क्षेत्र जयपुर। 5. महाप्रबंधक जिला जल कंड्रोल टोंक। 6. अखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक। 7. क्षेत्रीय प्रबंधक टोंक, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा। 9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक। 10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कम्परा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल बुंदी जिला बुंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024 (मंगलवार) को दोपहर 12:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल, बुंदी जिला बुंदी में दिव्य जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित क्षेत्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)
Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
(Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)
Whereas the undersigned being the authorized officer of SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited), Having its registered office at Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road, Maduraiyaval, Chennai, Tamil Nadu-600095 and corporate office at 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051, under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 18.12.2023 calling upon the borrower(s) (1) MAMESH SHARMA (2) SUBHASH SHARMA (3) ASHA SHARMA under loan account number (s) 213820910990109 to repay the amount mentioned in the notice being 22,90,659/- [Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Thousand Six Hundred Fifty Nine Only] within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that undersigned has taken Physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 11 Day of Sep. in the year 2024.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited) for an amount of 22,90,659/- [Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Thousand Six Hundred Fifty Nine Only] and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description Of Immovable Property: ALL THE PIECE AND PARCEL OF IMMOVABLE PROPERTY SITUATED SHOP NO. 10, LAXMI NAGAR, SODA HATWARA ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN MEASURING - 96.66 SQ.YD. IN AFTER REFERRED TO AS PROPERTY FOUR CORNERS: EAST - ROAD, WEST - SHOP NO.-09, NORTH - SHOP NO.-01, SOUTH - PARK

Place: Jaipur Date: 12.09.2024 SD/-, Authorised Officer.
SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

TATA CAPITAL LIMITED
Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002

MUNICIPAL COUNCIL SHAHADA
Dist. NANDURBAR
e-TENDER NOTICE for 2024-2025
Shahada Municipal Council invites e-Tender for the work of Augmentation to Shahada Water Supply Scheme, Tal. Shahada, Dist. Nandurbar in the State of Maharashtra of Estimated Cost Rs. 55,95,49,056.00. The e-Tender details are available on www.mahatenders.gov.in. All relevant dates will be as per the tender published in web portal- www.mahatenders.gov.in (Sd/-) Chief Officer, Shahada Municipal Council
Date 12/09/2024

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल
प्लॉट नं. बी-15, ईश्वरी भूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बुंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO BUNDI/PUB-119/859

Date: 21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय: वैसर की बालाजी रोनाइट, रफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाखेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित रोनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रोनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रफरेंस संख्या 20221000067066), कुल कलस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर, आवेदक वैसर की बालाजी रोनाइट द्वारा प्रस्तावित रोनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.3843 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 285768 टोपीए (रोम), जो कि रफरेंस संख्या 20221000067066, निकट ग्राम बाखेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है। से संबंधित प्रार्थना पत्र पत्र दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि वैसर की बालाजी रोनाइट, राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल को उन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु जन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित सखित अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सखित कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2. CEO जिला परिषद टोंक। 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थापक क्षेत्र झालाना बूरी, जयपुर। 4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरुणपवन झालाना संस्थापक क्षेत्र जयपुर। 5. महाप्रबंधक जिला जल कंड्रोल टोंक। 6. अखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक। 7. क्षेत्रीय प्रबंधक टोंक, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा। 9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक। 10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कम्परा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल बुंदी जिला बुंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024 (मंगलवार) को दोपहर 12:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल, बुंदी जिला बुंदी में दिव्य जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित क्षेत्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

यूको बैंक UCO BANK
HONOURS YOUR TRUST
NOTICE INVITING TENDER FOR ELECTRIC AUDIT OF BRANCHES & ATMs
Sealed bids are invited from valid degree/ license holder's electric engineers/auditors for doing electric safety audit in branches & ATMs under UCO Bank, Zonal Office, Jaipur. Tender documents with detailed terms & conditions can be downloaded from Bank's website www.ucobank.com. Bids should be submitted to UCO Bank, Zonal Office, 'Arcade International', 2nd Floor, Civil Lines, Ajmer Road, JAIPUR - 302006 on or before 5 PM, 4th October, 2024. For additional information please contact on 0141-2224794.
ZONAL MANAGER

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल
प्लॉट नं. बी-15, ईश्वरी भूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी,
बुंदी ई-मेल: rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO BUNDI/PUB-119/852

Date: 21.08.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
विषय: वैसर जय पोले बाबा ग्रेनाइट, रफरेंस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाखेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (रफरेंस संख्या 20221000052261), कुल कलस्टर क्षेत्र 6.4991 हेक्टेयर, आवेदक वैसर जय पोले बाबा ग्रेनाइट द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.1746 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 123648 टोपीए (रोम), जो कि रफरेंस संख्या 20221000052261 निकट ग्राम बाखेरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है। से संबंधित प्रार्थना पत्र पत्र दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि वैसर जय पोले बाबा ग्रेनाइट, राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल को उन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु जन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित सखित अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सखित कार्यपालक भार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलक्टर, टोंक। 2. CEO जिला परिषद टोंक। 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थापक क्षेत्र झालाना बूरी, जयपुर। 4. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरुणपवन झालाना संस्थापक क्षेत्र जयपुर। 5. महाप्रबंधक जिला जल कंड्रोल टोंक। 6. अखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक। 7. क्षेत्रीय प्रबंधक टोंक, टोंक। 8. ग्राम पंचायत मालपुरा। 9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक। 10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कम्परा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल बुंदी जिला बुंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/7986 दिनांक 21.08.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2024 (मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वहन मण्डल, बुंदी जिला बुंदी में दिव्य जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित क्षेत्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी

BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD

INVITATION FOR TENDER (Only through KPP portal)

BWSSB invites TENDERS in Two Stage Tender System from registered agencies for the following works.

Office of the Chief Engineer (North), 2nd Floor, Cauvery Bhavan, K.G. Road, Bangalore-09

Amount put to Tender

SI. No. Name of the Works EMD Amount

IFT No.: BWSSB/EIC/CE(N)/ACE(N)-ID/CE(M)-II/TA(N)/3772/2024-25 Date: 10.09.2024

Providing and laying 300mm dia RCC NP3 sewer-line to facilitate white topping (a) from Airforce Junction to Nagashethihalli Busstop via Sanjaynagar main road by connecting all sub-crosses laterals coming under Sanjaynagar Service station, (b) from Hebbal Flyover to Nagashethihalli junction of Bhoopasandra main road by connecting all sub-crosses laterals coming under Sanjaynagar Service station, (c) Jayamahal road TV tower to Tagor circle coming under Jayamahal Service station, (d) Platform road from T-junction on Vatal Nagaraj road to Mantri mall coming under Kumarapark Service station, (e) Link road from Sampige road Big bazaar junction to Sheshadripuram main road coming under Kumara Park Service station, (f) Subedar chatram road to Rajivgandhi circle coming under Kumara Park Service station of AEE NE-2 Sub-division - 2nd Call.

₹ 363.12 lakhs

₹ 5.45 lakhs

RELIANCE

Reliance Asset Rec
Address : 11th Fl
Western Express
9079938140

APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSE

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of Reliance Asset Reconstruction Company Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, and in exercise of Powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 18.12.2023 calling upon the borrower(s) (1) MAMESH SHARMA (2) SUBHASH SHARMA (3) ASHA SHARMA under loan account number (s) 213820910990109 to repay the amount mentioned in the notice being 22,90,659/- [Rupees Twenty Two Lakhs Ninety Thousand Six Hundred Fifty Nine Only] within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that undersigned has taken Physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub Section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The Borrower/Guarantor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of
All that part and parcel of the Property situated at Shop No. 10, Laxmi Nagar, Soda Hatwara Road, Jaipur, Rajasthan Measuring - 96.66 Sq.Yd. In After referred to as Property Four Corners: East - Road, West - Shop No.-09, North - Shop No.-01, South - Park

Place: Jaipur Date: 12.09.2024 SD/-, Authorised Officer.
SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

TATA CAPITAL LIMITED
Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002